अध्याय – सात
राज्य – एन.जी.ओ. के मध्य संबंधों का विच्छेदन

प्रस्तावना
भारत में एन.जी.ओ. समुदाय
केन्द्रीय स्तर पर राज्य एन.जी.ओ. संबंध

• सहयोग का युग : 1947 से 1950 तक
  ❖ एन.जी.ओ. प्रश्न में प्राथमिक नायक
  ❖ राज्य की भूमिका
  ❖ प्रावधानों की प्रामंडिकता

• विरोध का युग : 1960 और 1970
  ❖ एन.जी.ओ. प्रश्न में प्राथमिक नायक
  ❖ राज्य की भूमिका
  ❖ प्रावधानों की प्रामंडिकता

• राज्य का बढ़ता नियंत्रण : 1980 और 1990
  ❖ एन.जी.ओ. प्रश्न में प्राथमिक नायक
  ❖ राज्य की भूमिका
  ❖ प्रावधानों की प्रामंडिकता

स्थानीय स्तर पर राज्य – एन.जी.ओ. संबंध

• स्थानीय स्तर पर प्रावधानों की प्रामंडिकता

उपसंहार
अध्याय - सात

भारत में राज्य-एन.जी.ओ. के मध्य संबंधों का विवेधण

प्रस्तावना

इस अध्याय में यहाँ पर 1947 के बाद भारत में, गैर सरकारी संगठन और राज्य के बीच के संबंधों का विवेधण किया गया है।

यह सांगठनिक जटिलताओं और विशेषताओं में निहित राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं, सांगठनिक संस्कृति और राज्य-एन.जी.ओ.संबंधों का विवेधण का अध्ययन करता है एक विवेधणात्मक खाली तैयार करता है।

यह राज्य-एन.जी.ओ. संबंधों पर भारत में जो प्रायः एन.जी.ओ. के मय संबंधीय संबंधों का परिच्छेद करता है जो उपलब्ध साहित्य में पाए जाते हैं।

यह मानता है कि विभिन्न स्थानीय संगठनों में राज्य-एन.जी.ओ. संबंधों में कई देखे जाने वाले अंतर हैं। इन्हें शहरी गरीबों के लिए घर और भूमि योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय एन.जी.ओ. राज्य पर वीच गठना अनुच्छेदों के द्वारा व्याख्याित किया जा सकता है।

इन अंतरों के बावजूद विभिन्न हालांकि यह माना जाता है कि स्थानीय स्तर को सामान्यतया राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, स्थानीय अभिभाष्यों, निचले स्तर के नौकरशाहों और राज्य के निचले स्तर के कौशलीयों की एन.जी.ओ. गतिविधियों की ओर एक तरह के शून्यापूर्ण रवैये से विशेषीकृत किया जा सकता है।

1980 के बाद तीसरे विश्व में विकास के महत्वपूर्ण एजेंट की तौर पर एन.जी.ओ. उभरे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसके उदय और परिणामों के आधार पर अब विकास की शक्तियां अधिकतर दो और कुछ सरकारों इस बात पर सहमत हैं कि विकास राज्य और एन.जी.ओ. के बीच बढ़ते सहयोग से लाभाविक होगा।

यह विवेधणात्मक फ्रेम्वर्क दोनों संस्थाओं (राज्य, एन.जी.ओ.) के विकास की चुनौतियों के विभागों को हल करने का परीक्षण करता है। ये संगठनों की सांपेक्षिक शक्ति या तुलनात्मक फायदों पर आधारित है।
1. पूर्व के कोई भी अध्ययन इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने में असफल है कि यदि मनविद्या से विकास के वायना हो रहे थे तो इन संस्थाओं ने पूर्व में एक दूसरे में शामिल क्यों नहीं हुए?

2. एन.जी.ओ. की प्रभृति मानकों से जुड़ने की क्यों है जबकि अन्य की नहीं?

3. उस समय राज्य और एन.जी.ओ. एक दूसरे में सम्मिलित होने के अनिवार्य थे।

4. किस तरह का राजनैतिक शासन एन.जी.ओ. से सहयोग करना है?

इन प्रश्नों के उत्तरों के लिए अन्य तरह का अध्ययन उपयोगी हो सकता है।

ऐसा अध्ययन जो सांगठनिक जरिएताओं और विशेषताओं में सम्मिलित है और जो राजनैतिक सामान्य और आधिकारिक वास्तविकताओं, वैष्णविक देशों की सांगठनिक संरुपति और राज्य - एन.जी.ओ. संबंधों के विषय में मानव एजेंसियों के पहलुओं का परीक्षण करे243

यह अध्ययन व्यवस्था पश्चात के युग में केंद्रीय और स्थानीय स्तर पर भारत में जो राज्य एन.जी.ओ. के बीच संबंध हैं उनके कुछ ध्वानों पर विचार करता है, और विश्वासायक प्रभाव उल्लंघन करता है। यह मौजूदा कानूनों में राज्य-एनजीओ संबंधों पर जो प्रावधान है उनका भी परीक्षण करता है244 और यह अध्ययन बताता है कि भारत में वे आमें करने योग्य हैं।

संगठनों में जो लोग हैं वे अपने चारों ओर विचार के बारे में उपलब्ध कराता हैं और एक भूमिका बनाते हैं जो कि वे और उनके संगठन विचार के साथ नियंत्रण करते हैं।

विभिन्न अभियांत्रिकीय का फायदा एन.जी.ओ. बनाते या उनमें शामिल होने के लिए भिड़ प्रेरणाएँ हो सकती हैं और वे प्रेरणाएं एन.जी.ओ. और राज्य के बीच विभिन्न व्यवहारों और संबंधों का नेतृत्व कर सकती है।


एनजीओ विभिन्न सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विशेषकर ऐतिहासिक बिंदुओं पर उदय हो सकते हैं। जो बाद में राज्य एन.जी.ओ.संबंधों को प्रभावित करते हैं।

उदाहरण के लिए यक्ति जो सामाजिक परिवर्तनों को लाने के लिए, सर्वसत्तावादी शासन में एन.जी.ओ. स्थापित करने हैं वह राज्य के लिए अवश्यक हो सकता है। जबकि यक्ति जो एन.जी.ओ. को व्यावहारिक कारणों के लिए निर्माण करता है तो वह राज्य के लिए कम शुद्ध हो जाता है। वास्तव में एनजीओ का यह ‘सामाजिक इतिहास’ बाद के सामाजिक राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में राज्य के साथ अपने संबंधों को राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में राज्य के साथ अपने संबंधों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए एक एनजीओ जो राजनैतिक दबावों के दौरान बनता है वह एक अस्थित्व और संकुचन को विकसित करता है जो कि एन.जी.ओ. को राज्य के लिए विश्वसनीय होने को कठिन बना सकता है।

राज्य की प्रकृति और व्यवहार भी एन.जी.ओ. के साथ संबंधों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एन.जी.ओ. जो विकास के एजेंडा की व्यवस्था और उसे लागू करने के लिए अधिक हिस्सेदारी का मांग करता है वह राज्य के लिए अपने पक्ष के लिए हिंसक नहीं होगा जो कि लोकतांत्रिक सुधारों के लिए प्रतिरोधी है। दूसरी तरफ, यहाँ तक कि सर्वसत्तावादी शासन एन.जी.ओ. को इस तरह वर्तमान कर सकता है, यदि एन.जी.ओ. विकास के कार्यक्रमों को लागू करने के द्वारा सहयोग के माध्यम से लाभ प्राप्त करता है तो वह उसके खिलाफ राजनैतिक विपक्ष मानता है।

यह बताता है कि राज्य और एन.जी.ओ. के संबंधों के विश्वसन के लिए, चार आधारभूत प्रश्न उपयोगी हो सकते हैं।

1. विभिन्न ऐतिहासिक समयों में एन.जी.ओ. क्षेत्र में कौन से लोग सर्वप्रथम नायक थे और उनके लिए एन.जी.ओ. निम्नांश या उनमें शामिल होने के लिए कौन-सी प्रेरणाएं थी?
2. उनका राज्य के प्रति क्या रवैया था?
3. राज्य की प्रकृति क्या थी और उसका एन.जी.ओ. के प्रति क्या रवैया था?
4. वह सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या थे जिसमें वे एन.जी.ओ. उदित हुए?

यद्यपि अन्य अध्ययनों ने बताया कि एन.जी.ओ. समुदाय एक जैसा नहीं है और इस आधार पर कोई भी सामाजिक मंत्र नहीं निकाला जा सकता।
एक ही देश के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास अलग हो सकता है जो कि राज्य एन.जी.ओ. के बीच संबंधों को अलग-अलग तरह से प्रभावित कर सकता है।

इन विविधताओं की याद्य करने के लिए यह शोध भारत में विभिन्न स्थानीयताओं में राज्य एन.जी.ओ. संबंधों के अंतर्गत की परीक्षण करता है।

वाक यह निर्देश देता है कि यद्यपि व्यापक परिप्रेक्ष्यों में शक्तियों राष्ट्रीय स्तर पर एन.जी.ओ. को स्पष्टित कर सकती है और उसकी विशेषता को परिभाषित कर सकती है, राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर संकल्पनाओं के प्रत्येक को व्याख्यात करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों और सांस्कृतिक व्यवहार आधारभूत हैं, जैसे मेंदोपालिन क्षेत्र, अन्य कारकों के बीच, वाक स्वतंत्रता क्षेत्र और इसमें स्थानीय राज्य के साथ संबंधों को स्पष्टित करने में स्थानीय एजेंटों के कार्यों और स्थानीय राजनीति का प्रभाव करती हैं।

साहित्य में एन.जी.ओ.राज्य के बीच संबंधों पर कई संधियों पर प्रावधान पाए जाते हैं। यह शोध पांच संधियों पर करता है।

1. भारतीय राज्य एक 'छाया प्रदेश' (Shadow State) की योजना में है। 'छाया प्रदेश' शब्द वाक द्वारा अपने शोध में दिया गया जब वे यू.एस. और यू.के. में एन.जी.ओ. राज्य के बीच संबंधों का विश्लेषण करती है। वाक के अनुसार, 1970 और 1980 का आधिक संकट ने क्रांतिकारी राज्य को मानवीय सेवाओं के लिए अन्य तरीकों को खोजने के लिए तैयार किया। योजना की चाँद पराकाश ‘छाया प्रदेश’ के उद्देश्य को लाया। यह राज्य के समानांतर व्यवस्था थी जिसमें स्वतंत्रता संगठनों पर सेवाओं को प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गयी जो कि पूर्व में सार्वजनिक क्षेत्र के पास थी।

यद्यपि स्वतंत्रता क्षेत्र राज्य के निवृत्तीय की सीमा के बीच ही रहे। इसी तरह की संकल्पना विकासशील विश्व के परिप्रेक्ष्य में उपयोग में भी लायी गयी। आधिक उदारीकरण और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों को अधिकतर विकासी क्षेत्रों ने दाताओं के द्वारों के कारण स्वीकार और राज्य पर सार्वजनिक सेवाओं पर से खर्चों को पहुंचाया। इन कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ, एन.जी.ओ. से दानियों या सरकार से अनुबंध के साथ अनुबंधों में अभिलंघन होने की अपेक्षा की गयी कि वह सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराए, जिन गतिविधियों से राज्य ने अपने हाथ खींच लिये थे। हालांकि ऐसा विकासशील देशों में नहीं हुआ यहां पर विकासशील विश्व सरकारों और दानियों ने

सामान्य तौर पर एन.जी.ओ. को सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए अनुबंध की जगह अनुदान देकर आगे बढ़ाया। एन.जी.ओ. जो इस तरह की सेवाओं को उपलब्ध कराते थे उन्हें व्यापक रूप से सार्वजनिक सेवा अनुबंध (PSCs, Public Service Contracts) कहते थे।

PSCs, नॉन-प्राफिट संगठन है जो अपनी सेवाओं को वित्तीय सहायता देने वाले दाताओं और सरकारों को उनके विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बेचते हैं।

इस तरह के एन.जी.ओ. ज्यादातर बाजार से निर्धारित होते थे बजाय या अन्य लक्ष्यों के।

एन.जी.ओ. गतिविधि और कार्यक्रम की प्रकृति भी व्यापक स्तर पर राज्य एन.जी.ओ. के संबंधों को निर्धारित करती है। अधिकतर राज्य एन.जी.ओ. को क्लासिकल और आधुनिकीकरण की ओर उन्मुख गतिविधियों के लिए स्वागत करते हैं। यह विशेषकर तब सत्य है यदि एन.जी.ओ. राज्य के प्रयासों के पूरक या विकल्प के तौर पर सेवा उपलब्ध करते हैं। एन.जी.ओ. जो ऐसे विकास संदर्भ को लेकर आते हैं, जो सरकार के विकास के मांडल से भिड़ हैं वे प्रशासित हैं। विशेषकर उन देशों में जहां राज्य प्रभावी व्यवस्था अनुबंध है। सामान्य तौर पर, ऐसी गतिविधियां जो ‘शासनिकरण’ या ‘अंतर्विदेशी भूमिका’ प्रदान हैं उन्हें नहीं बुलाया जाता। इसके विपरीत वहां स्वयं संबंध होते हैं जब दोनों संस्थाओं एक जैसे उद्देश्य या विश्वास विकास को लेकर मात्र है।

सरकारें एन.जी.ओ. पर अविश्वास करती हैं विशेषकर तब जब एन.जी.ओ. में राजनीतिक विरोध के बीज होते हैं और वह सांस्थानिक चैनल जिस्में विपक्ष उनके खिलाफ उपयोग कर सकता है उनके साथ से कोई कार्य करते हैं।

अविश्वास तब भी आ सकता है जब एन.जी.ओ. क्षेत्र एक सांस्थानिक गर्दन और वैज्ञानिकों की आजीविका के लिए प्रचलित शासन के लिए अनुचित लगे या अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा राज्य के खिलाफ लोकप्रिय लामबंदी के लिए उपयोग में लाए।

राज्य एन.जी.ओ. संबंध अलग-अलग राजनीतिक शासन के साथ अलग होते हैं। यद्यपि भारत को सामान्य तौर पर यह दलीय उदार लोकतंत्र जिसका नामांकन राजनीतिक संबंध है उसमें विशेषीकृत किया जा सकता है जो संगठनों की स्वतंत्रता प्रदान करता है लेकिन राजनीतिक शासन की प्रकृति समय


और क्षेत्र के साथ भिन्न हो जाती है। इसलिए यह मान्यता है कि वामपंथी सरकारें एन.जी.ओ का स्वागत नहीं कर सकती, को भी राष्ट्रीय राज्य के परिपथ में विद्वेषित किया जा सकता है। इसलिए यह मान्यता है कि सरकारें जो वामकपित संकल्प जो 'पीपुल्स पावर' के लिए हैं वे एन.जी.ओ का स्वागत नहीं कर सकती क्योंकि इस तरह की सरकारें लोकप्रिय महत्वाकांक्षा की वास्तविक समझ का दावा करती हैं और 'कर्णधार दल' की भूमिका जन लामबंदी के लिए एन.जी.ओ की जरूरतों को नहीं देखती।

यह शोध पहले भारत में एन.जी.ओ समुदाय की ऐतिहासिक जड़ें और विविधता का विचार करता है और तब केंद्रीय स्तर पर राज्य एन.जी.ओ संबंधों की बड़ी सीट को प्रकाश में लाता है।

इसके बाद विभिन्न स्थानीयताओं के वाह इन संबंधों में अंतरों के परिपथ के द्वारा पीछे चलता है, यह रेखांकित थीम जो स्थानीय स्तर पर राज्य एन.जी.ओ संबंधों को विशेष वृद्धि करता है उसकी विद्वेषता करता है।

इन उपयुक्त विचारों जो राज्य एन.जी.ओ संबंधों पर हैं उनकी प्रामाणिकता को स्थानीय और केंद्रीय दोनों स्तर पर परवरत करता है।

भारत में एन.जी.ओ समुदाय

संकल्पवाद बहुत पहले से प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक अंतर्गत हिस्सा रहा है जब यह शिक्षा, दवा और सांस्कृतिक वृद्धि के क्षेत्र में संचालित होता था जैसे संकट, मूर्ख, बाल आदि के समय में।

स्वातंत्र्य संगठनों के आधुनिक देशज भारत में संकल्पवाद के अंतर्गत शुरू हुआ। 1820 के अंत में कलकत्ता में आधुनिक हिंदू वृद्धि की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत आधुनिक राज्य की राम भावनाओं के उत्तर में नवीनता प्राप्त वाल-विवाह, लाल-लिंग को आगे बढ़ाने आदि मुद्दों पर सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए हुई।

1840 में मुद्दा आधारित संकल्पवाद परिचय भारत में फैला, मुंबई के चारों ओर आसपास और सदी के अंत तक, इसमें भारतीय समाज की जड़ें पकड़ ली। 19वीं सदी में संकल्पवाद की सांस्कृतिक राजनीतिक शाखाओं की संख्या सामाजिक-धार्मिक संगठनों के रूप में कई संख्या में बढ़ी जब इनमें से मध्यवर्ती संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था जिसकी स्थापना 1885 में हुई। जल्दी ही यह राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने वाला कार्यकलाप आधार बन गया और परिणामस्वरूप यह एक राजनीतिक दल बन गया, हालांकि गांधी ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसके हित के लिए इसे 'भंग करने की बात की थी।
19वीं सदी में धर्मनिरपेक्षता प्रज्ञा स्वेदनिक आंदोलनों ने अपनी अधिकतम शक्ति गांधी से पायी। गांधी विचार करते थे कि भारत के विकास के लिए स्वेदनिक कार्य ही केवल एक रास्ता है। गांधी का संकल्प, स्थानिक करण और समाज के रूपांतरण पर बल देता था और 19वीं सदी के मुझे आधारित संकल्प के जगह राजनैतिक अंतर्वेत्र की जगह राजनैतिक अंतर्वेत्र के बजाय गांधी जनशक्ति का नेतृत्व ने ने ली।

स्वतंत्रता संरचना के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संकल्प कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने का संकल्प लिया। गांधीवादियों के द्वारा स्थापित आधुनिक एन.जी.ओ.के संस्थान अग्रवाल के और अन्य तक अपने में हैं।

हमें सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थिति के भीतर ही तुलनात्मक रूप से नये शब्द एन.जी.ओ. को भारत में रखना चाहिए। स्वेदनिक क्षेत्र के संगठनों को राष्ट्रवाद और विकास के साथ लंबे इतिहास को देखकर, कई भारतीय अब तक संकल्प के उसी विचार में विचार करते हैं जो कि आवश्यक रूप से रोमांटिक हैं, यह सवे द्वारा और सामाजिक संकल्प के द्वारा प्रेरित है।

पश्चिमी शब्द एन.जी.ओ.इस विचार के साथ फिट नहीं बैठता, वास्तव में भारत में कई एन.जी.ओ. कर्मचारी स्वेदनिक एजेंसी शब्द के लेखन को लगाना पसंद नहीं करती। VOLAGE सामाजिक कार्य समूह SAGs या गैर दलीय राजनैतिक निर्माण (Non Party Political Formation NPPFs) इस बारे में कोई भी आम सहमति नहीं है कि एन.जी.ओ. शब्द कब आया।

तब भारतीय परिस्थिति में एन.जी.ओ.क्या है? भारत में सामाजिक रूप से कुछ उत्तरी एन.जी.ओ. हैं, वे जो व्यापक सीमा बाहर हैं राहत एजेंसियों से लेकर विकासमुख नायक ग्राहिट संगठन तक है जैसे CARE और OXFEM।

शब्द एन.जी.ओ.के प्रतीक्षा के बावजूद हम दस्तावेजों में विबंधन परिभाषा को दैवी नहीं करने के माध्यम से देखना एन.जी.ओ. के लिए परिभाषा बना सकते हैं।248 भारत में एन.जी.ओ. को ऐसे संगठनों की तरह परिभाषित कर सकते हैं जो सामाजिकता मध्य या निपट मध्यवर्ती के व्यवसायियों या अन्दर व्यवसायियों के दृष्टि या तो वितरण के लिए या गरीबों के साथ कार्य के लिए, या गरीबों के


लिए सामुदायिक आधारित या बुनियादी संगठनों के बितीय महायोग को चैनल करने के लिए स्थापित किये गए हैं।

एन.जी.ओ. सामान्यतया गैर-सदस्यता वाले संगठन होते हैं और इसमें वैतिनक कर्मचारी होते हैं। अधिकतर मामलों में भारत में कानून और शासन नियंत्रित होते हैं, कुछ कर्मचारी सदस्य हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष चर्च संगठन एन.जी.ओ. से कुछ भिन्न संगठन हैं क्योंकि वे चर्च द्वारा स्थापित हैं और उनका नेतृत्व अक्सर पुरोहित वर्ग से आता है। यद्यपि वे एन.जी.ओ. के समान इस अर्थ में हैं कि वे गरीबों के कार्य करते हैं या उन्हें दान करते हैं या बुनियादी संगठनों के लिए बितीय मदद करते हैं। एन.जी.ओ. की तरह वे संगठन अक्सर मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के कर्मचारियों को रखते हैं।

इस तरह विवरण के उदेश्य के लिए, ये संगठन एन.जी.ओ. क्षेत्रीय के तदनुसार हैं इसलिए नहीं क्योंकि वे एन.जी.ओ. से समानता रखते हैं परंतु इसलिए भी क्योंकि राज्य की एन.जी.ओ. योजना उन्हें प्रभावित करती है।

भारत में बुनियादी संगठन GROs (Grassroot Organizations) या समुदाय आधारित संगठन CBOs (Community Based Organizations) को इस तरह के संगठनों की तरह परिभाषित कर सकते हैं जिनकी स्थापना निम्न आय समूह के सदस्यों द्वारा की जाती है, इसमें से अधिकतर अपनी सेवाएं स्वच्छता रूप से देते हैं। यद्यपि यह बहुत ही सामान्य है CBOs के लिए कि वह वैतिनक कर्मचारी रख रहे हैं। CBOs और GROs अक्सर सदस्यता वाले संगठन हैं। फिर से राज्य की NGOs पात्री उन्हें प्रभावित करती है चूंकि वे समान कानून और नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं जो कि नॉन प्रोफिट स्टेट्स, फंडिंग और धर्मांधर राज्य के अंतर्गत आते हैं।

‘सशक्तिकरण’ ‘आधुनिकीकरण’ और ‘कल्याणकारी’ इन शब्दों का उपयोग इस शोध में अलग-अलग प्रकार के एन.जी.ओ. की व्याख्या के लिए किया गया है। ये शब्द उन दर्शनियों से विकल्कर आते हैं जो तीन तरह के एन.जी.ओ. के बारे में बताते हैं जो परियोजना उम्मीद अनुमानों में भिन्न हैं। इसके बाद एन.जी.ओ. की व्याख्या के लिए योग्य बनाते हैं जो गरीबों को उनकी आधारभूत जरूरतों का उपलब्ध कराने के लिए योग्य बनाते हैं और तीसरे वे जो सशक्तिकरण या अंतेक्षना प्रसार आदि की ओर प्रवृत्त हैं, जो देखते हैं कि गरीबी राजनैतिक प्रक्रिया के परिणाम में 249

आयी है और वे समुदायों को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए प्रशिक्षित करने और इनमें शामिल होने को प्रेरित करते हैं। भारत में, यह सामान्य नहीं है कि एक ही तरह के एन.जी.ओ. में एक से अधिक ओरिएंटेशन हैं।

संशोधन में भारत में, 'एन.जी.ओ. के बिना' में गांधीवादी संगठनों, धर्मनिरपेक्ष धार्मिक संगठनों, विदेशी राहत और विकासात्मक संगठन शामिल हैं और इनकी स्थापना गरीबों के लिए वितरण के लिए मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के व्यावसायियों के द्वारा की गयी हैं, मध्यम संगठन या PSCs जो अन्य NGOs, CBOs और GROs को प्रशिक्षित करते हैं या विकास में, सेवाओं का प्रस्ताव देते हैं और ऐसे संगठनों की स्थापना राज्य से चुनावी राजनीति में और सामाजिक आंदोलनों में जिनकी मोहभंग हो गया हो ऐसे लोगों द्वारा की जाती है।

केंद्रीय स्तर पर राज्य - एन.जी.ओ. के संबंध

केंद्रीय स्तर पर राज्य एन.जी.ओ. के संबंधों को तीन व्यापक मोड़ के द्वारा विशेषधारी किया जाता है इनमें से प्रत्येक की लिंग ऐतिहासिक समय से जुड़ी हुई है।

पहला एन.जी.ओ. और शुभार्ती स्वतंत्रदया काल के राज्य के बीच का युग है, (1947 से 1950 के अंत तक), दूसरा 1960 और 1970 में दो क्षेत्रों के बीच श्रद्धा का उदय का समय है, और तीसरा 1980 और 1990 में बढ़ते राज्य के नियंत्रण का समय है।

विवेचन जो प्रत्येक काल को लेता है, प्रत्येक काल को पूर्व में सेवा चार पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में बिचार किया जाएगा। पश्चिम और उप क्षेत्रों में वीर चुके हैं, एन.जी.ओ. के प्राथमिक नायक (एन.जी.ओ. स्थापना के लिए उनकी परेशानी और राज्य की ओर उनका रवैया); और राज्य (एन.जी.ओ. के लिए उनका रवैया, उनकी प्रकृति और सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य)

सहयोग का युग: 1947 से 1950 के अंत तक

एन.जी.ओ. क्षेत्र में प्राथमिक नायक

प्राथमिक नायक गांधीवादी एन.जी.ओ. और धर्म आधारित एन.जी.ओ. (ईसाई और गैर ईसाई दोनों) के कर्मचारी थे।

अन्य नायकों में युवा और महिला क्षेत्रों के सदस्य शामिल हैं जिनका परिचय और वित्त पोषण राज्य ने किया, और शहरी एन.जी.ओ. जो जाति, धर्म और भाषा के नाम पर बने उनके कर्मचारी शामिल थे।
इनमें से किसी भी प्रकार के एन.जी.ओ. के कर्मचारी ने राज्य की विकास नीतियों का विरोध नहीं किया।

धर्म आधारित एन.जी.ओ. का काम शरणार्थियों को राहत पहुँचाना और अकाल और बाढ़ के पीड़ितों को मदद पहुँचाना, या गरीबी को उनके स्वास्थ्य और पौष्ठिक जरूरतों के लिए सहायता करना था।

गांधीवादी एन.जी.ओ. के कर्मचारी, कृपि की बढ़ोतरी, कोऑपरेटिव दृष्टि व्यवसाय, मुर्मी पालन और मस्तक पालन इकाईयों में शामिल थे।

वहाँ मामलों में गांधीवादी एन.जी.ओ. और नेताओं के बीच नजदीकी दोस्ताना संबंध थे क्योंकि वे स्वतंत्रता संगठन से एक साथ निकले थे। उनके विकास के संबंध में भी कुछ साजे विचार थे।

युवा और महिला क्लास की स्थापना और अभी जिन पौष्ठिक राज्य द्वारा किया गया था; उनके कर्मचारी इसलिए राज्य के साथ किसी भी संघर्ष में शामिल नहीं थे।

आर्थिक विकास के प्रवृत्त के लिए जो प्राथमिक उद्देश्य था वह था भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की व्यवस्था करना।

हां शहरी एन.जी.ओ. के कर्मचारियों के साथ संघर्ष का एक छोटा क्षेत्र अवश्य था, उनका प्राथमिक कार्य शहरों में आने वाले नए विस्थापितों के सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों के लिए प्रबंधन का कार्य था जो कि राज्य का कार्य था।

राज्य की शूरुमिका

इस काल में राज्य महत्वपूर्ण था विशेषकर गांधीवादियों के लिए। राज्य ने 1953 में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड (CSWB) केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना एन.जी.ओ. को आगे बढ़ाने और जिन पौष्ठिक ने लिया था, उसने रूपए 30 की व्यवस्था की (लगभग 1994 के हिसाब में मूल्य = रूपए 483 या 18.6 यू.एस. डॉलर)250

केंद्रीय समाज कल्याण मंडल ने 1954 में स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड्स (SSWABs) की स्थापना नए क्षेत्रों में वर्तमान एन.जी.ओ. की मजबूती और उसकी तीव्र वृद्धि को मापने की योजना बनाने के।

CSWB और SSWABS के निर्माण के साथ एन.जी.ओ. ने राज्य के अधिशेष फंड को परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रामाणित किया जिसने गांधीवादी संगठनों को स्थिर रूप से नया जीवन दिया।

प्रथम रंगबंधु योजना ने 40 प्रतिशत (1994 के हिसाब से 894/- या 28.5 यूएस डॉलर) एन.जी.ओ. सहायतार्थ राशि रखी।

खादी और प्रामोद्योग कार्यक्रम (KVIC) की स्थापना इस काल के दौरान हुई और इसने गरीबों की आर्थिक बेहतरी के लिए खादी और प्रामोद्योग को आगे बढ़ाने के लिए एन.जी.ओ. को वित्त पोषित किया। इसका उद्देश्य भी गांधीवादी एन.जी.ओ. के सहयोग के लिए हुई।

इस काल में गांधीवादी एन.जी.ओ. ने भारी विकास परियोजनाओं में प्रविभित्तित सरकारी कर्मचारियों की मांग की। उद्धारण के लिए सामाजिक विकास मंत्रालय, गांधीवादी एन.जी.ओ. में उसके विस्तारित कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल था, जबकि स्वास्थ्य कम्युनिटी भी स्वास्थ्य मंत्रालय की परिधान पर गांधीवादी एन.जी.ओ. द्वारा प्रशिक्षित हुए।

जबाहर नाने नेहरू और एक स्वच्छ राज्यवाणी कार्यकर्ता दूरगांवी देशमुख, के नेतृत्व में योजनाकारों ने महत्त्व मिला कि समाज कार्य स्वच्छता क्षेत्र को दे दिए जाएं। इसमें राज्य तकनीकी और वित्तीय महत्व प्रदान करें। योजनाकार इसमें विभाग करते थे कि स्वच्छता क्षेत्र सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम है और राज्य स्वयं इसका समाधान नहीं कर सकता।

भारत का सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और राज्य की अद्वैत प्रूक्ति ने राज्य की योजनाओं या विकास में उसकी भूमिकाओं के लिए किसी भी विपश्चा के लिए बहुत कम जगह छोड़ी थी। गरीब व्यक्ति का प्रविभितान इतिहास कार्यक्रम का लंबा रहा है, वहां राज्य था वकल था परंतु वह एक 'मजबूत' राज्य था जो विकास में शामिल होता।

इस तरह की भूमिका उस समय के दानी के महत्व और विकास की संकल्पना के साथ स्थिर थी। राज्य के अधिवेश जिनके पास अंतर्जाति शक्ति भी उसने बृहद प्रतिष्ठा का आनंद लिया जिसका


कि कोई भी वैयक्ति या संगठन उसका विरोध नहीं कर सका। कांग्रेस पार्टी भारत के राजनीतिक स्पेस में न केवल प्रभावी थी बल्कि राष्ट्रीय अभिज्ञताओं को क्षेत्रीय और स्थानीय अभिज्ञताओं के साथ जोड़कर संरक्षण देकर समाज के प्रत्येक स्तर पर अधिरति की कुछ झलक को धीरे धीरे आगे भी बढ़ा रही थी।

कांग्रेस के भीतर उसकी लोकतांत्रिक संरचना जो वैनियादी स्तर तक राज्य और समाज को उसकी सांगठनिक श्रमण के साथ एक साथ बांधने के लिए विस्तारित थी, और परिणाम में सांपेडिक रूप से अखण्ड राज्य बनाती थी।

स्वतंत्रता प्राम की सुखानुभूति कम नहीं हुई थी ताकि विकासात्मक विमंडल के निपटे की प्रवृत्ति और राज्य अभिज्ञताके निर्णयों को प्रदान किया जा सके।

प्रावधानों की प्रासंगिकता

इस काल में कोई प्रस्ताव को लागू करने का यह कारण आता है। ‘छाया प्रदेश’ के विचार के पूर्व या PSCs के विकसित होने के पूर्व तक भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव की विश्लेषण की थी। यद्यपि राज्य ने समाज सेवाओं के वितरण के लिए एन.जी.ओ. को उपक्षेत्रविभाग के लिए निविदाओं के लिए सहारा नहीं दिया, वह स्वैच्छिक क्षेत्र की खोज में था जो सेवा वितरण भार ले सके। योजनाएं, जैसे कि सामाजिक कार्यों को स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए रोजगार, पंचवर्षीय योजना के समाजिक युवाओं और मद्दत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं उनका वित्त पोषण करना, गांधीवादी एन.जी.ओ. से सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु आयोजन करना भी कर्मचारी विकास योजना के कार्यों में शामिल थे, और SSWBs के मार्फत एन.जी.ओ. को वित्तीय सहायता देने का कार्य प्राप्त करना भी कर्मचारी विकास योजना के कार्यों में शामिल थे।

अन्य प्रस्ताव जो प्रासंगिक हैं उनमें एन.जी.ओ. गतिविधि की प्रवृत्ति और एन.जी.ओ. राज्य के संबंधों की प्रवृत्ति भी शामिल है। राज्य इस समय में एन.जी.ओ. गतिविधि का व्यवस्था करना है क्योंकि इस तरह की गतिविधि कल्याणकारी और आधुनिक करण उन्मुख राज्य के स्तर पर या उसके पूरक एन.जी.ओ. द्वारा जो सेवा प्रदान की गयी बढ़ा किसी तरह का संचार नहीं है। एक तरह से स्वास्थ्य


संबंध विचारमन थे क्योंकि दोनों ही संस्थाओं के मामलों के लक्ष्य सामूहिक थे और विकास संबंधी विचार भी साजे थे।

बिरोध का उदय: 1960 और 1970

एन.जी.ओ. क्षेत्र में प्राथमिक नायक

इस काल में कई प्रकार के एन.जी.ओ. थे, जिसमें कल्याणकारी कार्यों की ओर प्रवृत्त शामिल हैं; देशज जो INGOS द्वारा स्थापित थे; अंतरराष्ट्रीय एन.जी.ओ.; एन.जी.ओ. जो नाट पार्टी पानीटिकल साफ्टेड या एक्स्ट्रा ग्रुप की तरह जा रहे थे, गरीबों ने अन्य प्रकार के एन.जी.ओ. और स्थानीय सरकार की मदद से CBOS स्थापित किए, कारपोरेट परोपकार के संगठन और विकास एन.जी.ओ. जो भारत सरकार ने स्थापित किए।

इन समकालीन नए एन.जी.ओ. के साथ गांधीवादी और धर्म आधारित एन.जी.ओ. निरंतर
अस्तित्व में थे।

एन.जी.ओ. स्थापित करने के लिए बड़ी संस्थानिक इतिहासों और प्रेरणाओं दोनों के व्यापक विविधता थी और एन.जी.ओ.नायकों की राज्य की और रचने में भी भिन्नता थी जिसके परिणामस्वरूप राज्य एन.जी.ओ.संबंध व्यापक सीमा में थे।

1960 में कई संख्या में कल्याणकारी कार्यों की ओर प्रवृत्त एन.जी.ओ. के कर्मचारियों का उदय हुआ और 1970 के शुरूआत के इसका विस्तार हुआ। 1970 की शुरूआत में मुख्य रूप से वे अकाल, बाढ़ या दुर्भाग्य के पीड़ितों को राहत प्रदान करने में शामिल थे और बड़ा राज्य के साथ योद्धा बहुत संघर्ष था। गांधीवादी एन.जी.ओ. और कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रवृत्त धर्म आधारित धर्म निरपेक्ष एन.जी.ओ. के कर्मचारियों ने उनके शुरूआती बालों को करना जारी रखा, दुबारा उन्होंने संघर्ष के लिए खुद जगह छोड़ी। समुदाय आधारित एन.जी.ओ. जिन्हें न्यायिक राज्यों ने स्थापित किया था उनके पास राज्य के विरोध का कोई कारण नहीं था; यथापि खुद ऐसे समुदाय आधारित एन.जी.ओ. जो एक्स्ट्रा समूहों ने बनाए थे वे राज्य के साथ संघर्ष में शामिल थे। एन.जी.ओ. कर्मचारी जिन्होंने गरीबों की मदद के लिए एन.जी.ओ. बनाए थे वह अधिकाधिक निम्न थे।

यथापि 1960 और 1970 ने राज्य एन.जी.ओ. संबंधों के कई रेखांकित तरीकों को उत्पन्न किया, इसमें अधिकतर विशिष्ट प्रवृत्ति राज्य और एक्स्ट्रा समूहों के बीच उभर रहे विरोध की प्रवृत्ति थी जो 1960 में बने थे। सामाजिक उत्पत्तियों, प्रेरणाओं और वैदिकों के दृष्टिकोण ने जिन
एन.जी.ओ. का निर्माण किया था वे उनके राज्य में संघर्ष की कुछ व्याख्या देते हैं। लोग जिन्होंने इस तरह के एन.जी.ओ. को बनाया उन्हें बड़े श्रेणियों में व्यापक समूहों में बांटा जा सकता है।

1. प्रथम श्रेणी में शिक्षित, मध्य और निम्न मध्य वर्ग के युवा थे जो राज्य के विकास के मॉडल और वामपंथी पार्टियों की राजनीति से असंतुष्ट थे। वे विख्यात करते थे कि अधिकतर तकनीकी, संगठनात्मक और ईश्विक निवेश जो पंचवर्षीय योजनाओं में रखे गए थे उनका फायदा अभिजातों को हुआ है और भारतीय विकास के प्रारूप ने अमीर और गरीब के बीच के अंतराल को और अधिक चौड़ा किया है।

उन्होंने वामपंथी पार्टियों के प्रगतिशील परिवर्तनों को लाने के दावे से विख्यात किया था जहां उन्हें आरोप किया था कि वामपंथी पार्टियों गरीबों को केवल अपने मतों के लिए इलेश्माल कर रही हैं। इस तरह की पार्टियों ने गरीब से गरीब की समस्याओं को प्रस्तावित रूप से उनके साथ काम करके दूर नहीं किया। एक्षण समूहों ने इसलिए गरीबों को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उन ग्रामीण और शहरी इलाकों में संगठित किया और इसके लिए काम किया जहां गरीबों को वामपंथी पार्टियों ने असंगठित माना था और सामाजिक समानता के लिए महत्वहीन माना था। साफतौर पर इस तरह के विख्यात राज्य के साथ गठबंधन के लिए सहयोग नहीं थे, विशेषकर राजनीतिक स्तर पर जहां वे एन.जी.ओ. संज्ञाय थे।

2. द्वितीय श्रेणी के मुख्यों में वर्तमान एन.जी.ओ. के कर्मचारियों थे जिन्होंने एक्षण समूहों का निर्माण किया था और जो आधुनिकीकरण की परियोजना में 1960 में शामिल थे। यह एक दशक बाद, कुछ कर्मचारियों का आधुनिकीकरण परियोजनाओं से मोहबंग हो गया वे विख्यात कर रहे थे कि गरीबी बतम करने में उनका कुछ थोड़ा प्रभाव पड़ा है। कुछ मामलों में, उन्होंने दाता एन.जी.ओ. का स्थानीय प्रतिरूपों पर दबाव किया कि वे उनके कार्यक्रमों में सशक्तिकरण के तत्वों को शामिल करें, जैसे एन.जी.ओ. ने उनकी परियोजनाओं में सशक्तिकरण शामिल कर दूर किया, तब राज्य के साथ संघर्ष अविचार हो गए।

3. तीसरी श्रेणी में ऐसे समूह के लोग थे जिन्होंने 'सर्वोच्च' आंदोलन के युवाओं का एक्षण समूह बनाया था वहीं सर्वोच्च आंदोलन जिनसे 1970 में अपनी गतिकी खो दी थी। 'सर्वोच्च' आंदोलन

गांधीवादी समाजवाद का एक रूप था; इसकी शुरुआत स्वतंत्रता पथार तिनोवा भावे के नेतृत्व में हुई थी। जो कि गांधी के नजदीकी शिष्य थे। 1950 के मध्य में जनप्रकाश नारायण इसमें शामिल हुए जो कि गांधी के एक और अनुयायी थे। आंदोलन का जो मुख्य फोकस था वह था भूमि का स्वामित्व पुनर्वितरण। 1960 के मध्य तक अपनी चरम अवस्था पर इनौं दोनों के नेतृत्व में रहा, सबोध आंदोलन के युवा अनुयायियों ने 'युवा संघर्षवाहिनी' (यूथ एक्शन स्क्रेड) की स्थापना की और जिसने आपातकाल (जून 1975 से मार्च 1977 तक) के दौरान भीमती इंदिरागांधी की सर्वसलाबादी शासन के खिलाफ रेलियां निकाली।

इन नायकों की पृष्ठभूमि में उत्पन्न किसी भी तरह के एन.जी.ओ. को राज्य में सहयोग कर पाना काफी कठिन था।

4. चौथी श्रेणी के समूह में ‘राज्य विरोधी’ लोग थे, इस तरह की सामाजिक उत्पत्ति वाले नायकों की तरह जिनके दृष्टिकोण में अपना राज्य था। ये एक्शन समूह थे जिनकी स्थापना नेतृत्व आंदोलन के धूर्तपूर्व सदस्यों के द्वारा की गयी थी, एक क्रांतिकारी, माओ-लेनिनवादी, सश्र आंदोलन की शुरुआत 1960 के अंत में हुई। सेना और पुलिस की महायता में, श्रीमती गांधी का प्रशासन 1970 के मध्य में आंदोलन को दबाने में सक्रिय हुआ, अधिकतर नकसालियों को जेल हो गयी, हालांकि कुछ भूमिगत हो गए। जनता सरकार (1977-80) ने यद्यपि इन सभी कैदियों को मुक्त कर दिया। कुछ मुक्त कैदियों और अन्य एक्स नकसालियों का आंदोलन के बिखरने के साथ ही मोहभंग हो गया, जिन्होंने एक्शन समूहों का निर्माण किया।

5. पांचवीं श्रेणी में ये समूह थे जो पथिमस्मार्कवादी विचारों के द्वारा प्रभावित नए बाबूपंथी बुद्धिजीवी थे। उन्होंने भारतीय राज्य का विरोध किया, राज्य को उन्होंने निर्भर, कम श्रमिता बाला या ईंगल टेट्रियन विकास कार्यशालाओं के बारे में दृष्टि कार्यरत में कमजोर बनाया।

6. चौथी श्रेणी के भारतीय ईसाई समूह थे जो मुक्त धर्मिता में प्रभावित थे और उनका बल गरीबों को सशक्त करना था। उन्होंने राज्य के साथ संघर्ष और राज्य नीतियों का बिरोध किया जिसकी प्रवृत्ति गरीबों की वेतनही थी।

राज्य की भूमिका -

राज्य के कल्याणकारी एन.जी.ओ. को समर्थन करना जारी रखा। बास्तव में इसने एन.जी.ओ. के द्वारा किए राहत कार्यों का स्वागत किया, जो कि नियमित रूप से अने बाली बाली, मृत्यु, अकाल, तूफान जैसी आपदाओं के कारण नगदाता करने पड़ रहे थे। राहत कार्यों की जज्जरत 1971 में हुए बांग्लादेश के साथ युद्ध में और अधिक तीव्रता से बढ़ गयी। युद्ध के कारण भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों का संतप्पवाह भी बढ़ गया। राज्य का समर्थन उन एन.जी.ओ. के लिए था जो उसके विकास के मॉडल को 1960 और 1970 तक लगातार स्वीकार करे। राज्य ने इस समय विकासात्मक एन.जी.ओ. को प्रारंभ करने की शुरुआत भी की। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में एन.जी.ओ. के महत्व को बर-बार दोहराया इस काल के दौरान, राज्य ने विदेशी एन.जी.ओ और एन.जी.ओ. के लिए विदेशी महायता पर अपने नियंत्रण को बढ़ाया। राज्य की इस योजना का एक हिस्सा इन एन.जी.ओ. और विदेशी एजेंसियों की विध्वंसात्मक गतिविधियों में शामिल होने के कारण भारत के लिए झटका देने वाला इस काल के दौरान बढ़ गया। राज्य की इस योजना का एक हिस्सा इन एन.जी.ओ. के लिए विदेशी महायता का अंतिम लागू करने के लिए एन.जी.ओ. की सामाजिक सहमति को बढ़ाया। राज्य की इस योजना का एक हिस्सा इन एन.जी.ओ. के लिए विदेशी महायता का अंतिम लागू करने के लिए एन.जी.ओ. की सामाजिक सहमति को बढ़ाया।


एक अधिनियम बनाया गया, जिसका उद्देश्य उन एन.जी.ओ. पर निर्माणी रखना था जो विदेशी सहायता निधि को प्राप्त करते हैं।

जनता शासन के तीन सालों (1977-80) में एन.जी.ओ. के बढ़ते समर्थन को देखा, परंतु हाल में 1970 के राजनैतिक सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए, कुछ वर्ष पूर्व की ओर भी जाना चाहिए, सर्वोच्च आंदोलन के समय में, जिसके परिणामस्वरूप एन.जी.ओ. के लिए समर्थन में वृद्धि हुई। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भूमि सुधारों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ इस आंदोलन के अनुशासियों ने गांवों में भी एन.जी.ओ. स्थापित किए या विभिन्न मामलों एन.जी.ओ. में महत्व रखे। जब जयप्रकाश नारायण का अभियान भीमती गांधी की सरकार के खिलाफ आपत्तिक दर्ज करने के समय चरम पर पहुंचा, कई हजार गांव के नेतृत्व करने वाले एन.जी.ओ. के अधीन थे, उन्होंने जयप्रकाश के लिए चारों ओर सरकार के बनाए रखियां निकाली और प्रदर्शन किए और 1977 के चुनावों में जनता पार्टी की जीत में मदद की। इसलिए, जनता पार्टी के लिए यह स्वभावित था कि जब वह नया सत्ता में आए तब वह एन.जी.ओ. को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करे। इसके अतिरिक्त, जनता पार्टी के नेतृत्व के अन्तर्गत सरकार के परिवर्तन को प्रभावित करने वाले थे। एन.जी.ओ. को जनता पार्टी के निष्ठुर गुटों के लिए समर्थन करते थे और उन सामाजिक विकास के बनाम वृद्धि के बाल्य के लिए निष्ठुर गुटों को बढ़ाने के उद्देश्य में भी बढ़ावा दिया गया, उदाहरण के लिए जब संघ पार्टी (उस समय जनता पार्टी का एक गुट) ने एन.जी.ओ. को लोगों की अंधभिंति प्राप्त करने के लिए बनाम उपलब्धि माना|  

भारत का सामाजिक राजनैतिक परिपथ और राज्य की प्रकृति भी राज्य विरोधी एन.जी.ओ. के उद्देश्य को यथायोग्यता में मदद कर सकती है। राज्य का शहर आधारित प्रारूप अपने औपचारिकितरण पर लकड़े चार बांध की कमी के परिपथ में प्रभावित हुआ। यह समय युवा आंदोलनों जैसे- नक्सली और सर्वोच्च आंदोलनों में भी नियति किया जा सकता है, जो राज्य के


विकास के मॉडल से असंतुष्ट थे। ज्यादातर शिखित युवाओं के बीच 1960 के अंत और 1970 की शुरुआत में यह असंतुष्ट धीरे-धीरे रोजगार की कमियों के कारण और भी तीव्र हो गयी।

1960 के अंत में, कांग्रेस पार्टी ने राज्य और समाज को एक साथ बांधकर रखने की अपनी सांगठनिक क्षमता को खोना शुरू कर दिया। वह अंतर: श्रीमती गांधी की ‘पैर संस्थानीकरण’ नीति का परिणाम था, जिसे वह कांग्रेस पार्टी में बुनियादी संबंधों और लोकतांत्रिक संरचना के परिणाम के द्वारा कर रही थी, इसलिए उसकी सांगठनिक क्षमता कमजोर हो रही थी। जिस पार्टी की उत्पत्ति नीचे से ऊपर (Bottom up) हुई थी वही पार्टी श्रीमती गांधी और उनके समर्थकों के द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के कारण अब ‘ऊपर से नीचे’ (Top to Bottom) केंद्रीयता वाली पार्टी हो रही थी।

कांग्रेस के बुनियादी संबंधों की ध्येयता, और अन्य दलों की उदासीनता (चरम बामपंथी और दिखियंपंथी के अपराधों को छोड़कर) ने बुनियादी स्तर पर एक राजनीतिक निर्वाचन तृप्ति बनाया और जिन संगठनों ने इस निर्वाचन को भरा वे एक्शन समूह।

प्रावधानों की प्रासंगिकता -

इस काल में राज्य PSCs या प्रतिविच्छेद राज्य (Shadow State) की खोज में था, जैसा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रकट हुआ था, इसमें विकास की योजनाओं के सफलतापूर्वक लागू करने में एन.जी.ओ. की भूमिका भरने को बड़ा था। जनता पार्टी के तीन वर्षों में इस प्रश्न को बढ़ाया, और भी विकास परियोजना में एन.जी.ओ. के हमले को प्रोत्साहित किया।

एन.जी.ओ. की गतिविधि और राज्य-एनजीओ संबंधों की प्रकृति का विचार भी इस काल में प्रासंगिक है। ये विचार एक्शन समूहों की ओर राज्य के विरोध और इसके क्षेत्रान्तकारी उपनिष के बिकासात्मक एन.जी.ओ. के समर्थन की खालील रहता है। ‘एक्शन समूहों का नियंत्रण राज्य ने नहीं किया क्योंकि उन्होंने विकास के मॉडल को चुनौती दी थी। इससे तरफ राज्य आधुनिकीकरण और विकासात्मक एन.जी.ओ. के पथ में दिख रहा था क्योंकि वह राज्य के प्रयासों के पूरक का काम कर रहा था।


विवेश निधि प्राम एन.जी.ओ. के प्रकारों से संबंधित प्रस्तावों को सरकार द्वारा माना करना भी यहां प्रामाणिक है। जबकि राज्य कल्याणकारी कार्यों की ओर प्रवृत्त एन.जी.ओ. जिन्हें विवेश निधि प्राम हो रही थी उनका यह समर्थन कर रहा था एवं एक्षण समूहों की विवेश निधि के वह विरोध में था क्योंकि उनकी गतिविधियों विबधास्पद थी।

अंत में यह प्रस्ताव कि सरकारों राष्ट्रीय संप्रभुता या राज्य की गुरुवार के युवा पर एन.जी.ओ. की छंदनी करती थी, इस मुद्दे पर राज्य के कई कार्यों को समर्थन प्राम था इसी ने एक्षण.आर.ए. का परिचय कराया और एशिया फाउंडेशन जो ईसाई मिशनरी थी उसे बाहर किया।

राज्य का बढ़ता नियंत्रण: 1980 और 1990

एन.जी.ओ. क्षेत्र में प्राथमिक नायक -

इस काल में कई नायक और कई प्रकार के एन.जी.ओ. विधायी देते हैं। जबकि पुराने प्रकार के एन.जी.ओ. अस्तित्व में जारी रहते हैं, नए एन.जी.ओ. की स्थापना राजनीतिक दलों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों और व्यावसायी लोगों के द्वारा की जाती है। एन.जी.ओ. क्षेत्र की परिप्रेक्ष्य के साथ युवा व्यावसायी प्रबंध करना शुरू करते हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए संकल्प की तबाह रोजमर्रा द्वारा प्रेरणा पाते हैं, यह 1960 व 1970 में पूर्व प्रभावक था। युवा व्यावसायी मध्यस्थ एन.जी.ओ. या PSCs को भी राज्य के लिए अनुसंधान, सजावट और प्रतिक्रिया संबंधों को उपलब्ध कराने के लिए स्थापित करते हैं।

जैसा कि यह क्षेत्र स्वयं ही विविधतापूर्ण है इसलिए यह राज्य-एनजीओ संबंधों की विविधतापूर्ण है। यथापि कोई भी राज्य के बढ़ते नियंत्रण की सोच को रेखांकित कर सकता है।

एक बार फिर, सांस्कृतिक इतिहास साथ ही साथ सामाजिक उपयोग और नायकों की प्रेरणा विशिष्ट प्रकार के एन.जी.ओ. की स्थापना या उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करता है यह सभी एन.जी.ओ.- राज्य के संबंधों को इस काल में सुधारित करने बाला बनता है। उदाहरण के लिए जो एन.जी.ओ. सेवानिवृत्त नौकरशाह द्वारा स्थापित किया जाता है उसकी प्रवृत्ति राज्य से अंदाजे संबंध स्थापित करने की होती है क्योंकि उसके संस्थापक के संबंध राज्य के अधिकारियों से होते हैं। वास्तव में, इन संबंधों का उपयोग कई लोग अपने एन.जी.ओ. के लिए राज्य द्वारा निधि प्राम करने में करते हैं। यह अन्य एन.जी.ओ. के अधिकारियों को परेशान करता है जो सरकारी निधि के इस तरह के मुद्दों को देखते हैं।
कई एन.बी.ओ. अधिकारी राजनीतिकों के लिए एन.बी.ओ. स्थापना के लिए महत्वपूर्ण हो चुके हैं और अपने राजनीतिक संबंधों के द्वारा वे अपने एन.बी.ओ. के लिए राज्य से बित्र प्राय करते हैं। मध्यस्थ एन.बी.ओ. या PSCs के अधिकारी राज्य के साथ अपने व्यावहारिक कारणों के लिए राज्य से अलग संबंधों को बनाए रखते हैं। जैसे की उन्हें राज्य से नई परियोजनाओं की जरूरत होती है। एन.बी.ओ. श्रेणी में एक व्यावसायिकों के प्रवेश ने एन.बी.ओ. संबंधों को कुछ वर्तमान संगठनों में वाल्व दिया है। कुछ ‘राज्य विरोधी’ एन.बी.ओ.ने राज्य के साथ गठबंधन करके मशक्करण उन्मुखता को रोजमार सुरक्षा के लिए संबंध तत्त्वा मे स्थितापन कर दिया है।

इसी तरह के परिवर्तन एक्शन समूहों के बीच पाया जा चुका है जो उनकी अपनी परियोजनाओं में विकास के लक्ष्य को बढ़ा चुके हैं- परियोजना उन्मुख परिवर्तन जो इन एन.बी.ओ. में प्रेरणा से और इसके नायकों के दृष्टिकोण से होए हुए हैं। इनके कई नेताओं ने यह महसूस करना शुरू किया कि रेडीकल सच्ची करण को जारी रखने के क्रम में और स्थानीय अभिज्ञात्व, पुलिस या अन्य राजनीतिक दलों से उल्लेख को रोकने के लिए वह ज्ञाति करना आवश्यक था या कम से कम रेडीकल पार्टी के समर्थन की जरूरत थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि भौतिक लाभों के उपलब्ध कराए विना उनके पायों के लिए, मशक्करण प्रबन्ध परियोजनाओं को चलाना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त 'युवा दीवार' जिन्होंने एक्शन समूह बनाए थे वे पुराने हो चुके थे। उनमें से कुछ की शारी हो चुकी थी और उनके निर्देशन वे, जिसके परियोजनायांवृपु उन पर व्यवस्थित होने का दबाव था इस तरह के क्रियाकलाप में परिवर्तन के राज्य के साथ संबंधों में भी परिवर्तन आया।

यद्यपि अधिकतर रेडीकल एक्शन समूह 1980 के मध्य में टूक-टूक होना शुरू हो गए, कुछ ने आज तक राज्य का विरोध करना जारी रखा है। एक्शन समूहों की बारह मीटिंगों की शृंखला जो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की गयी, उसने दिखाया कि इस तरह के संगठनों के मूल्य राज्य के विकास मॉडल और स्थापित विकासात्मक संगठनों की ओर अब तक विरोध महसूस करते हैं। जैसे सहकारियों, पंचायतों (स्थानीय सरकारों), राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियन 264 वे अब तक राज्य को दमित और शोषक की तरह देखते हैं, वे प्रयत्न करते हैं कि उनके संगठनों की प्राथमिक भूमिका राज्य की नीतियों का विरोध करना है। उनका मानना है कि राज्य की नीतियां गरीब को और गरीब करती है। यह राज्य के साथ तनाव को अनिवार्य बनाता है।

राज्य एन.जी.ओ. संबंधों ने एन.जी.ओ. नेटवर्कों के द्वारा मुद्दा आधारित अभियानों के उदय के साथ नया रूप ले लिया है।

ये नेटवर्क अब लोकप्रिय मुद्दों जैसे ऊर्जा, पर्यावरण, हादसिंग या महिला अधिकारों के इर्द-गिर्द राज्य की नीतियों के विरोध में स्थापित हुए हैं।

इस तरह के अभियान का एक अच्छा उदाहरण है नरम्दा बचाओ अंडोजन, जो विभिन्न विकासाध्यक्ष एन.जी.ओ., GROS सत्कियतावादियों और बीपीएफ द्वारा नरम्दा घाटी परियोजना के विरोध के लिए चलाया गया। यह भारत में स्वतंत्रता पत्थर अद्वितीय नरम्दा निभाने वाली एक नई परियोजना थी और यह चार बड़े राज्यों को समाहित करती थी- मध्य प्रदेश, बुधगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। महत्यूपर्ण बन भूमि के छोटे जल बांधों में पर्यावरण क्षण है और इस परियोजना के द्वारा जो लोग विस्थापित हो चुके हैं उनके पुनर्वास का मुद्दा ‘बांध विरोधी’ एन.जी.ओ. की प्राथमिकता में सबब था।

इस काल के प्रमुख विशेषता एन.जी.ओ. के द्वारा राज्य का बढ़ते नियंत्रण का प्रमाण था। इस योजना का आलोचना उन एन.जी.ओ. के कर्मचारियों ने की जो शक्तिकरण में संबंध है। उनमें से कई मानते हैं कि वे योजनाएं एन.जी.ओ. के लिए, राजनैतिक स्थिती को घटाती हैं। और सत्ता देते हैं कि राज्य का तो सक्षम करण उन्मुख एन.जी.ओ. द्वारा प्रश्नातिक वैकल्पिक विकास के मॉडल को स्वीकार करने की इच्छा नहीं रख रहा है और इस तरह के एन.जी.ओ. के द्वारा भय महसूस करता है।

एक योजना जो कि मजबूत राज्य विरोधी भावना को दिखाती है वह भी राजीव और राजौ नींदिसल की स्थापना करना जो छाता संगठनों की तरह कार्य करेगा। जिसमें ग्रामीण एन.जी.ओ. शामिल हो सकते हैं। 265 एन.जी.ओ. जो इसमें शामिल होते हैं वे आचार संहिता जिसमें 19 नियम हैं। उन्होंने अन्य काम करने 266 एन.जी.ओ. के नेताओं ने एन.जी.ओ.जनतादल में इस प्रस्ताव को रोकने के लिए, समर्थन दिया। एन.जी.ओ. को राजीव नींदिसल से विरोध और परिवर्तन के लिए, उन्हें क्या आत्म समर्पण करना चाहिए? क्या यह संक्षिप्तवाद के मिठाई इंसानों के हैं? क्या एन.जी.ओ. में काम करने का इस्तेमाल करता है?


वाले लोगों की भावना के खिलाफ नहीं है?" 267 यह मानते थे कि प्रस्तावित राष्ट्रीय काउंसिल सरकार द्वारा संगठित एन.जी.ओ होगा जो अन्य एन.जी.ओ को नियंत्रित करेगा। जब सेन, जो उस समय कलकत्ता आधारित एन.जी.ओ. 'उदयन' के अध्यक्ष थे उन्होंने महसूस किया कि 'इस संबंध में जो तर्क PADI (Peoples Action For Development India) कमेटी के हैं' वे सक्रियतावादी विरोधी है, और यह प्रस्ताव नए संस्थान की स्थापना के लिए पूर्व निर्धारित है जो सभी स्वीकार्य कार्य के क्षेत्रों की निर्देश दे सकें।"268

स्थापित एन.जी.ओ. के कुछ अधिकारियों द्वारा लामबंदी करने और इस संबंध में पहल के कारण प्रस्तावित काउंसिल और आचार संहिता को स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि यह नोट किया जाना चाहिए कि इस प्रस्तावित योजना की उपलब्ध का आरोप जाने माने एन.जी.ओ. अधिकारी-संजीत राय (बुनकर) जो 1982 से योजना आयोग में राज्य की प्राथमिक योजना एजेंसी के साथ शामिल थे, यह स्पष्ट करता है कि सभी एन.जी.ओ. कर्मचारी राज्य के साथ विरोधी दृष्टि नहीं रखते।

एन.जी.ओ. की मात्रा पंचवर्षीय योजना की परिभाषा की आलोचना कई मास्कर्डरण उन्मुख एन.जी.ओ. कार्यक्रमों द्वारा की गयी। दस्तावेज, एन.जी.ओ. को राजनीतिक रूप से उदासीन विकासात्मक संगठन की तरह परिभाषित करते हैं जो सरकार को उसके प्रामाणिक विकास कार्यक्रमों में सहायता करेगा। 269 टंडन का दृष्टिकोण यहाँ भी उपयोगी है, टंडन के अनुसार यह एन.जी.ओ. को एक संकुचित परिभाषा के भीतर परिसिद्धता करने का साफ प्रयास है, क्योंकि वह यह साइकिल स्थान उन्मुख समूहों जो विस्थापित गरीबों महिलाओं आदि के साथ कार्य कर रहे हैं यह उनको बाहर कर देती है, खामकर ऐसे एन.जी.ओ. को जो रिसर्च, प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण और कार्यशालाओं पर फोकस करते हैं, और शहर आधारित एन.जी.ओ. है। 270 वह स्पष्ट है कि इस काल के दौरान जो संस्थान में राज्य के विकास कार्यक्रम को लापरवाह बनाने वाले एन.जी.ओ. थे, जो एक बार पिर राज्य एन.जी.ओ. के बीच संबंधों की विविधता को प्रकट करते हैं।


एन.जी.ओ. के नेता एन.जी.ओ. के लिए दिशाएं से धन प्राप्त करने पर लगी रोक, FCRA पंजीयन से इंकार करने और एन.जी.ओ. के लिए इस तरह के पंजीयन का निरस्त नहीं निलंबन पर अपना असंतोष जाहीर कर चुके हैं ये सब बढ़ी एन.जी.ओ. हैं जो स्वातंत्र्य परियोजनाओं में प्रवृत्त है। कुछ नेता भी FCRA को बदलने की राज्य की अनिवार्यता को जाहीर कर चुके हैं।

कई एन.जी.ओ. नेताओं का FCRA के उदारीकरण के लिए मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी अन्य क्षेत्रों का उदारीकरण हो रहा है, इसमें 1973 के फारेन हैंडलिंग एक्ट में छूट शामिल है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि FCRA को गृह मंत्रालय से जिंकने वाले मंत्रालय में नौकरशाही परेशानियों को खत्म करने के क्रम में ले जाना चाहिए।

राज्य की यूनिकॉर्न -

ग्रामीण एन.जी.ओ. के लिए राजीव और राज्य काउंसिल के प्रस्ताव के बाद में, राज्य ने 1980 में अन्य योजनाओं को एन.जी.ओ. क्षेत्र पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए संस्थापित किया।[271] इसमें 1976 में FCRA में संशोधन के लिए वना कुदाल आयोग, 1983 का विभिन्न अधिनियम और NGOs की सभी आय उत्पादक गतिविधियों से टैंस में छूट को हटाना आदि सभी समाहित है। एन.जी.ओ. पर बढ़ते संख्यात्मक क्रांति का प्रायोग 1980 में शुरू हुआ जब कांग्रेस पार्टी (इंदिरा) द्वारा चुनकर आयी। नयी सरकार ने जांच का एक नया आयोग बनाने के लिए संस्थापित किया, जो कई जांच मानने एन.जी.ओ. जो नया प्रकार नारायण और उनके विरुद्ध अभियान से जुड़े हुए थे उनकी गतिविधियों, शोकों, निधि के दूर्योग को लेकर जो आरोप थे उन सभी को देखने के लिए था।[272] कमीशन के परिणामों में इन एन.जी.ओ. के उपरीन, उनके कार्यों को रोकने, निधि मिलने के रास्तों की अवृद्ध करना, और उनकी छवि पर ध्वंस लगाने के लिए प्रेस में रिपोर्ट देना आदि हुआ। आयोग के कार्यकाल (1982 से 1987 तक) के दौरान 900 से ज्यादा गांधीवादी प्रेरणा वाले संगठनों को विशेषज्ञ गतिविधि का आरोपी माना गया, इससे शायद भारत में बड़ी संख्या में एन.जी.ओ. और राज्य के बीच तनाव का सबसे नाटकीय उदाहरण पेश किया।


एन.जी.ओ. को 1985 में संशोधित किया; सभी एन.जी.ओ. जो विदेशी सहायता राजिने रखे थे, उन्हें गृह मंत्रालय में पंजीयन हेतु खाता बना दिया जिसमें सभी विदेशी निधि जारी के लिए बांधक किया गया और इस खाते की जानकारी मंत्रालय में देने के लिए बांधक किया गया। एन.जी.ओ. के लिए जो मंत्रालय में पंजीकृत थे उन्हें मंत्रालय की विदेशों से निधि प्राप्त करने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं थी। वैकल्पिक रूप से यह था कि एन.जी.ओ. यदि मंत्रालय में पंजीकृत होता नहीं तो उन्हें बांधक किया गया और पर्याप्त उन्हें विदेशों से निधि प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है।273 यह अधिनियम राज्य को किसी संगठन की विदेशों से सहयोग प्राप्त करने को रोकने के लिए सशक्त बनाता है।

1983 का वित्तीय अधिनियम, निधि को जिसे एन.जी.ओ. उद्योगों से प्राप्त करना है उसे सीमित करता है, आयकर को हटाकर दिया गया, जिसे 1977 में अनुमोदित एन.जी.ओ. के लिए जो कि प्रामाणिक विकास में शामिल थे, के लिए दान पर लागू किया गया था।274

इसी समय के दौरान इस कानून को 1983 के वित्तीय अधिनियम कानून से रूपांतरित कर दिया गया, अधिकांक देखा जा सकता था विदेशी गतिविधियों के लिए एन.जी.ओ. को मिलती ही उन्हें हटा दिया गया, उन्हें पूरी तरह से फंडिंग पर निर्भर कर दिया गया।

राज्य की प्रकृति आंशिक रूप से इस बढ़ते नियंत्रण की व्याख्या करती है। राज्य की विकास एजेंडा स्थापित करने की क्षमता और विकासात्मक योजना विस्तार करने के लिए राज्य के अभिजातों को एन.जी.ओ. क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की अनुमति देती है।

अधीनका और एशिया की तरह यहां द्विपक्षीय और वह पक्षीय दाता विकास सहायता को राज्य से दूर एन.जी.ओ. के लिए पूरा आवश्यक नहीं करते थे।275 एन.जी.ओ. की भारतीय राज्य की दाताओं ने नीतिगत व्यवस्था में निर्मित प्राथमिकता थी, खासकर संरचनात्मक समायोजन, मैक्रो- आंशिक नीति और संरचनात्मक सुधार की तुलना में। परिसंचालनका रूप राज्य के अभिजातों के विकास संबंधी निर्णयों में एक मजबूत मूमिनका अर्जित कर ली।

273 AVARD(Association of Voluntary Agencies For Rural Development)1991 Role Of NGOs in Development: A Study of the Situation in India (final country report), New Delhi: AVARD.

274 AVARD,1991:ibid; Rajni Kothari:1986, ibid

इस वातावरण में, राज्य एन.जी.ओ. के लिए एक बेहतर परिभाषित भूमिका को स्थापित कर सका और एन.जी.ओ. को अपने प्रति नियामन बने रहने तक का प्रयास किया। यह भूमिका ने दृष्टि की कि एन.जी.ओ. राज्य के विकास के मार्गदर्श का अनुसरण करे और इसे लागू करे। इसके अतिरिक्त 'सेवा बितरण' भूमिका भी निभाए, राज्य एन.जी.ओ. से यह अपेक्षा करता था कि वह सेवा बितरण की भूमिका निभाए जैसा कि वह चयनित फूड में किया करता था। यह प्रवृत्ति 1980 के बाद संरचनात्मक व्यवस्था और आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रमों की बढ़त के साथ और भी बढ़ गई।

राज्य के विकास के कार्यक्रमों को लागू करने में एन.जी.ओ. के शामिल होने के रूप में राज्य ने विभिन्न सरकारी फंडिंग को बढ़ा दिया। 1980 के मध्य में एन.जी.ओ. अब सरकार से या सरकार के समांतर निकायों से प्रत्यक्ष रूप से अनुदान लेने योग्य हो गया जैसे कपाट (CAPART, Council for Advancement of Peoples Action And Rural Technology) निकायों से। राज्य की फंडिंग अब पेयजल के क्षेत्र, बननाशन की मदद, महिलाओं और बच्चों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा और साथियों और ग्रामीण घरों के क्षेत्र में कार्य करने वाले एन.जी.ओ. के लिए उपलब्ध हो गई। सातवें पंचवर्षीय योजना ने 2.5 बिलियन (1994 की अनुमानित कीमत = 54 या U.S. डॉलर में) एन.जी.ओ. के लिए स्थापित कर दी।276 सातवें योजना में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में एन.जी.ओ. की भूमिका के लिए एक प्रमाण और था और इसमें 18 गरीबी विरोधी और निरोधक जरूरतों वाले कार्यक्रमों को विचित्रित किया जिसमें एन.जी.ओ. सरकार की मदद कर सकते हैं।277

राज्य की एन.जी.ओ. के लिए बेहतर परिभाषित भूमिका आठवें पंचवर्षीय योजना में प्रकट होती है सामाजिक सेवाओं के वितरण का बेहतर कृति और माइलो स्तर पर योजनाओं के लिए नीमों की भांपीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एन.जी.ओ. की बड़ी भांपीदारी कहा गया। दस्तावेज यह भी बताते हैं कि ग्रामीण विकास में स्वतंत्र संगठनों चार बन देना होगा, मुख्य तौर पर: स्वतंत्र एजेंसियों की भूमिका समायोजित विकास की ओर नए तरीकों के साथ नवविधान के लिए आधार उपलब्ध करने से विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव के बारे में आने बाली प्रतिक्रियाओं के संबंध में निश्चित करने से, और स्वातंत्र्य विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए उनके विकास में शामिल करने में परिभाषित किया गया, दस्तावेज जारी रखते हैं कि स्वतंत्र संगठन एक।

उद्योग की तरह कार्य कर सकते हैं और लाभों को संगठित कर सकते हैं, योजना और विकास में लोगों
को शामिल कर सकते हैं और विकास को एक वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक समर्थन मुद्देया
करा सकते हैं।

प्रधानमंत्री राव का एन.जी.ओ.पर विमंथ भी संकेत करता था कि राज्य की इच्छा
एन.जी.ओ. को उसके विकास के मॉडल को लागू करने में शामिल करने की थी। जनवरी 1992 की एक
सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा कि वह गांव, खेत और क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रम को
एन.जी.ओ. को सोचने की तैयारी कर रहे हैं और यदि एन.जी.ओ. को किसी विशिष्ट लाभक, गांव या
क्षेत्र में किसी तरह की नौकरशाही की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो एन.जी.ओ. को
सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए।

श्रीमती गांधी ने भी इसी तरह की तंजा को दिखाया था जब उन्होंने अक्टूबर 1982 में सभी
मुख्यमंत्रियों को लिखा कि स्वैच्छिक एजेंसियों के सलाहकारी समूहों को, छठीं पंचवर्षिय सरकार के
दौरान एन.जी.ओ. को शामिल करने के क्रम में राज्य स्तर पर स्थापित करना चाहिए।

सरकार ने भी राज्य-एन.जी.ओ. संबंधों को बेहतर करने के लिए उनकी सेवा वितरण भूमिका
बढाने के लिए पहल की। 1988 में राज्य एन.जी.ओ. संबंधों की समीक्षा के लिए कृष्णास्वामी कमेटी
राज्य गवर्नर गवर्नर थी। हालांकि इस कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया था, उसमें सरकार
से अनुदान के लिए शिकार को सामान्य करना शामिल था। अन्य राज्यों की पहलों में मार्च 1994 में
दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करना शामिल था, जिसे योजना आयोग ने एन.जी.ओ. और राज्य के बीच
सहयोगी संबंधों को लाने के लिए आयोजित किया था। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री, योजना आयोग के
उपाध्यक्ष, वरिष्ठ मंत्री और राज्य के सचिव और कई एन.जी.ओ. नेता शामिल हुए थे।

278 Government of India (1992a) Eighth Five Year Plan, 1992-97, Volume I. Objectives, Perspectives, Macro-
281 AVARD(Association of Voluntary Agencies For Rural Development)1991 Role Of NGOs in Development: A Study
of the Situation in India (final country report), New Delhi: AVARD.
इस बातचीत के परिणामस्वरूप देश में राज्य और एन.जी.ओ. के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सिद्धांत, प्रक्रियाओं का एक समझौता तैयार हुआ परंतु कोई भी समझौता वास्तविक मुद्दों पर नहीं पहुँचा।

राज्य का एन.जी.ओ. को गरीबों के लिए सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन को बहतर रूप से नेशनल हाउसिंग पॉलिसी (NHP) में समझाया गया है। 1980 के अंत में आर्थिक उदारीकरण के सहयोग के साथ, NHP के हाउसिंग प्राथमिक का निर्माण की गयी हो चुका था।[283] एन.जी.ओ. ने केवल निम्न आय वाले समुदायों को हाउसिंग सेवा प्रदान करना चाहता था लेकिन इस तरह की सेवाओं को नयी योजना में देने को प्रोत्साहित भी करता रहा था।

भारत का सामाजिक-राजनैतिक परिवर्तन भी नाना प्राइमट क्षेत्र पर राज्य के नियंत्रण को बढ़ाने के प्रयासों को बताता है। यह समय अलग आंदोलनों, रूखियादियों और जातीय आंदोलनों के पुनरुत्थान का समय था (जैसे मिस्र आंदोलन, काश्मीरी आंदोलन या हिंदू-मुसलमान आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में था) जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और पूरे भारतीय राजनैतिक परिष्कर्त्र में कांग्रेस पार्टी (ईंडिया) की प्रभावशाली बुनियादी धर्म थी। इन आंदोलनों की कई संगठनात्मक शाखाएं (इसमें बिहार हिंदू परिपथ या जमात ए इझलामी शामल हैं) थी।

विश्वी पार्टियाँ (जैसे जनसंघ जो बाद में बीजेपी हो गयी) भी उनके वृत्तियाँ चौहों और उनके समर्थकों के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र का प्रयोग कर रहीं थीं। स्वैच्छिक क्षेत्र के अभिवाद्य, रूखियादी, राजनैतिक और सामाजिक आंदोलनों में शामिल थे (जैसे सर्वोच्च या नमस्ती आंदोलन) उनको समायोजित करने की प्रत्यक्ष दिखायी, कांग्रेस पार्टी (ईंडिया) को इस क्षेत्र पर निर्माण बढ़ाने में तत्त्वात्मक दिखायी, जिसमें एन.जी.ओ. को प्रभावशाली किया।

प्राथमिकता का प्राप्तीकरण

राज्य की छाया प्रदेश या PSCs के लिए बोझ में इस काल में वृद्ध हुई, जैसा कि राज्य की कई योजनाओं का प्रदर्शन इस क्षेत्र की ओर दिखा। इसमें राज्य के विकास मॉडल को लागू करने में एन.जी.ओ. की तैयार भूमिका, एन.जी.ओ. के लिए सरकारी फंड में वृद्धि, योजनाओं की विविधता जिसमें एन.जी.ओ. परियोजनाओं को लागू कर सके और क्षेत्र के साथ बेहतर संबंधों की पहल यह नया शामिल है।

राजनीतिक दलों द्वारा उपयोग में लाया गया और इसने अतिवादियों, रूढ़िवादियों, राजनीतिक, जातीय और सामाजिक आंदोलनों में शामिल लोगों के लिए पालन पोषण के लिए सांप्रदायिक चरणों का प्रबंध किया। इस तरह की पृथ्वीमृति के खिलाफ इसके बारे में कोई आश्वासन नहीं कि राजनीति के नॉन-गैटिविटी सेक्टर पर अपना नियंत्रण को बढ़ाया।

इस प्रस्ताव की प्रारंभिकता कि एन.जी.ओ. की गतिविधि राज्य-एन.जी.ओ. संबंधों को निर्धारित करती है वह इस काल में अधिक उठाया है।

**स्थानीय स्तर पर राज्य-एन.जी.ओ. संबंध**

एन.जी.ओ. के सामाजिक और सांप्रदायिक इतिहास के मुताबिक, विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियां, सांप्रदायिक व्यवहार, स्थानीय राजनीति और स्थानीय इवेंटों के कारण के अनुसार विभिन्न स्थानीयताओं में राज्य-एन.जी.ओ. के बीच संबंधों के अंतर देखे जा सकते हैं।

इन अंतरों को स्थानीय राज्य और एन.जी.ओ. के विभिन्न योजनाओं जैसे महिलाओं और बच्चों की बेहतरी, स्वास्थ्य देखभाल, प्रीड शिक्षा और साक्षरता हाउसिंग आदि के बीच पारस्परिकता के परिक्रमण के द्वारा ही देखा जा सकता है। इस शोध में, स्थानीय राज्य एन.जी.ओ. पारस्परिकता को शहरी गरीब के लिए हाउसिंग और भूमि योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में विभेदित किया गया है।

एन.जी.ओ. समुदाय, नायकों और सामाजिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों की विविधता के बावजूद, इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर राज्य एन.जी.ओ. संबंधों में एक रेखांकित सीधा है। सामाजिक रूप से इस स्तर के संबंधों को राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं, स्थानीय अभिजातों, निगमों, नौकरशाहों और राज्य के निचले स्तर के कर्मचारियों की एन.जी.ओ. गतिविधि की ओर शार्ट्रुता से विशेषीकृत किया जा सकता है।

284 मिस्टिल्पर ग्रामीण इलाकों के लिए सूचना धारण की विदेश में प्रकृति एन.जी.ओ. संयोग संघ और निचले स्तर के नौकरशाहों के हित और स्थानीय अभिजातों का विरोध करते हैं जो इस तरह के एन.जी.ओ. की ओर विरोध निर्माण करते हैं। जब एन.जी.ओ. कर्मचारी

आवश्यक द्वारा मजदूरी की बैठक के बारे में और उन्हें अर्जित करने की प्रक्रिया के बारे में भूमिप्रदेश मजदूरों के समूहों का शिकायत करते हैं, यह उसी के सामान है कि मजदूर इस तरह की मजदूरी की मांग करते हैं। स्थानीय भूमि मालिक संबंधत: इन मांगों के खिलाफ विरोध करते हैं और एन.जी.ओ. के कर्मचारियों को उनके मजदूरों पर नियंत्रण खोने के भय के रूप में देखते हैं। जब एन.जी.ओ. कार्यकारी सरकार के हंग्रेटेड रूप से वेबप्लेट (IRDP) में हिस्मेदारी के लिए महिलाओं के किसी समूह को अपनी मांग के लिए आवाज उठाने के लिए संगठित करते हैं, स्थानीय और विला स्टर के कर्मचारी उत्तरज्ञ और भारतीय महसूस करते हैं यहां तक कि अपनी सत्ता को भी खोने से भी ज्यादा बोलते हैं। इस तरह के एन.जी.ओ. अक्सर या तो स्थानीय राजनैतिक पार्टियों से या राज्य की निचले स्तर की नौकरशाही पार्टियों से या राज्य की निचले स्तर की नौकरशाही से थोड़ी बहुत सुरक्षा पाते हैं।

स्थानीय सत्ता संरचना उन एन.जी.ओ. की समस्याओं को सामने रखती है जो राज्य के विकास कार्यक्रमों की लागू करते हैं। इन कार्यक्रमों को उचित रूप से लागू करने से उनकी भौतिक परिस्थितियों बदल सकती हैं, उनकी संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच को आसान करने से प्रतियोगिता और सत्ता की स्थितियों में अधिक हो सकता है। इसलिए स्थानीय स्तर पर वर्तमान सत्ता संरचना खुलासा हो रही है। यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है कि वे जो इसके विपरीत भावनात्मक हुए हैं वे सत्ता के खोने के खिलाफ अनियम का प्रयास करते हैं। स्थानीय सरकार के कर्मचारी जैसे स्थानीय समाज, संगठन के कार्यकारी, बंड विकास अधिकारी, प्रायोगिक विद्यालय के शिक्षक, स्वास्थ्य देखभाल के इंस्टीट्यूट और बन सुरक्षा अधिकारी की प्रभुत्व उन एन.जी.ओ. को जो विकास परियोजनाओं को लागू करते हैं उन्हें अन्य सत्ता के लिए भय के तौर पर देखते हैं और इसलिए वे इस तरह के एन.जी.ओ. के कार्य के लिए बाधा डालने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए बंड विकास अधिकारियों के लिए सूचना या सामग्री को रोकना या उसे हटाना या उनको मजदूर देना या अनुमोदन देना असामान्य नहीं है एन.जी.ओ. के लिए। अंततः कोई भी निचले स्तर की नौकरशाही और एन.जी.ओ. अधिकारियों के अधिकार एन.जी.ओ. के पंजीयन, आय और आयकर से संबंधित कानूनों के राज्यों में संबंध को देखता है। हाल के वर्षों में इन मुद्दों के संबंध में स्थानीय नौकरशाहों के द्वारा नागरिकता उपीड़ित सामान्य हो चुका है।

स्थानीय स्तर पर राज्य- एन.जी.ओ. संस्थाओं में प्रस्तावों की प्रासंगिकता -

प्रस्ताव की प्रासंगिकता की बारंबरी सरकार एन.जी.ओ. को स्थानीय स्तर पर लाने के लिए बहुत स्वागत नहीं कर सकती। साफ़तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सी.पी.आई.,एम.) की राज्य सरकार सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत एन.जी.ओ. का स्वागत नहीं करती, कम से कम
कोलकाता में तो नहीं करती क्योंकि वे देखते हैं लोगों की लामबद्धी के लिए एन.जी.ओ. के कार्यों की कोई जरूरत नहीं है यह कार्य पार्टी के हरावलों की कार्य है।285

अन्य भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में शक्तिकरण की दिशा में प्रवृत्त एन.जी.ओ. की ओर वामपंथी पार्टियों की उदासीनता को देखते हैं।286

ये अध्ययन मानते हैं कि स्थानीय स्तर पर, इस तरह के दलों के बुनियादी कैड्र लोकप्रियता पाने के लिए, लोगों के साथ मिलकर कार्य करते हैं और विकासात्मक कार्यों के लिए एन.जी.ओ. को श्रेय देना नहीं चाहते। इसलिए एन.जी.ओ. द्वारा स्वायत्त विकास कार्यों के लिए अपनी पार्टी को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनौती देखते हैं और इसका विरोध करते हैं या इन्हें प्रशंसित करते हैं।

उपसंहार

यह विश्लेषण बताता है कि अध्ययन जो संस्थाओं को मानव एजेंट के संगठनों, उनकी पहचानों, लक्ष्यों और सामाजिक दिशाओं की दृष्टि से देखते हैं वे भारत में एन.जी.ओ. राज्य के बीच संबंधों को समझने में उपयोगी है। उदाहरण के लिए 1940 और 1950 में राज्य और एन.जी.ओ. के बीच कोई टकराव नहीं था। उस समय किसी भी एन.जी.ओ. अधिकारी ने राज्य की विकासात्मक नीतियों का विरोध नहीं किया। इसके विपरीत सामाजिक उत्पत्ति, प्रेरणाएं और दृष्टिकोणों में संबंध दृष्टियों के परिणाम से 1960 में राज्य और एन.जी.ओ. के बीच टकराव का उदय हुआ। एन.जी.ओ. निर्माण के लिए सांस्थानिक दिशाओं, नायकों और प्रेरणाओं की विभिन्नता के परिणामों के रूप 1960 के बाद राज्य और एन.जी.ओ. के बीच संबंधों में भिन्नताएं दिखीं।

इनके संबंधों को समझने के लिए राज्य की प्रकृति और उन सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों को जिनमें एन.जी.ओ. उभरते हैं को समझना भी महत्वपूर्ण है।

286 AVARD(Association of Voluntary Agencies For Rural Development)1991 Role Of NGOs in Development: A Study of the Situation in India (final country report), New Delhi: AVARD.

1940 के अंत और 1950 में राज्य की मजबूत अखंड प्रकृति और भारत का सामाजिक, राजनैतिक परिप्रेक्ष्य बताता है कि वहां विकास में उनकी भूमिका का विरोध करने के लिए किसी भी संगठन को कोई जहरत नहीं थी। इसके विपरीत, 1960 के भारत का उत्तर सामाजिक, राजनैतिक परिप्रेक्ष्य राज्य विरोधी एक्शन समूहों के लिए एन.जी.ओ. के आधार को उपलब्ध कराता है। गंभीर युवा बेरोजगारी, युवा संबंध बुझायदी संबंधों के खोने, युवा आंदोलनों और गरीबी के संबंध में अधिकतर दलों की उदासीनता ने एंजीओ के उदय का नेतृत्व किया।

सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियां जैसे अलगाववादियों, रूढ़वादियों और जातीय आंदोलनों की नात प्राफ़िट क्षेत्र में अपनी बड़ी संख्या में सामाजिक शाखाओं के साथ उत्पत्ति और विपक्षी दलों के द्वारा इस क्षेत्र का उपयोग और सामाजिक आंदोलनों में लोगों की भागीदारी ने 1980 से राज्य के इस क्षेत्र पर नियंत्रण को बढ़ाने के लिए तर्क उपलब्ध कराए।

राज्य एन.जी.ओ. संबंधों को बनाने में राज्य की प्रकृति का महत्व 1980 में भी साफ हो गया था। विकास एजेंडा को बनाने में राज्य की योग्यता ने न केवल एन.जी.ओ. क्षेत्र पर अपना नियंत्रण
बढ़ाने की अनुमति दी बल्कि एन.जी.ओ. की सेवा निवारण और सेवा प्राप्तकार की भूमिका को भी परिभाषित किया।

कई प्रस्ताव जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में राज्य एन.जी.ओ.संबंधों पर साहित्य में पाए गए वे इतिहास के विभिन्न विन्दुओं पर प्रासंगिक हैं। यद्यपि सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव छाया प्रदेश से संबंध है।

शुरूआती योजनाओं ‘छाया प्रदेश’ की खोज के लिए जिसमें सामाजिक कार्य को स्वैंच्छिक क्षेत्र को सौंपना शामिल है उसकी व्याख्या करती है। पंचवर्षीय योजनाओं में युवा और महिला क्षेत्रों को आर्थिक विकास योजना के लिए आगे लाने को रखा जाता; सरकारी अधिकारी जो विकास योजनाओं में शामिल थे उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए गांधीवादी एन.जी.ओ. से अनुरोध करना; और एन.जी.ओ. के लिए सरकारी फंड की उपलब्ध कराना।

‘छाया प्रदेश’ के लिए बोझ 1960 और 1970 में भी जारी रही, इस समय राज्य ने विकास योजनाओं के सफलतापूर्वक लागू करने में एन.जी.ओ. के महत्व पर बल दिया। जनता पार्टी के तीन वर्षों के शासन में इस प्रबुद्धता को बढ़ाया; विकास परियोजनाओं में एन.जी.ओ. की भागीदारी को बढ़ाया।

1980 और 1990 में राज्य ने आर्थिक उदारीकरण और संरचनात्मक समन्वय योजनाओं को अपना लिया। एन.जी.ओ. के लिए राज्य ने आकार तय किया। एन.जी.ओ. के लिए सरकारी निधि में बढ़ोतरी, क्षेत्रों की विविधता जिसमें एन.जी.ओ. परियोजनाओं को लागू कर सकें और क्षेत्र के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए पहल करना, ये सभी इस काल के दौरान ‘छाया प्रदेश’ के लिए बोझ के बिना थे।

विभिन्नतर्कत्व में, भारत में ‘छाया प्रदेश’ के निर्माण में कई बाधाएं थीं। उदाहरण के लिए दीर्घकृत राज्य की फंडिंग की दूसरी या अगली किश्तों में देर, या नौकरशाहों की सनकों के कारण उपयोग के मामलों और फंड को रोक देने के मामलों के कई उदाहरण हैं। इस तरह की देरी ने विकासात्मक परियोजनाओं को भी रोक दिया और एन.जी.ओ. के अधिकारियों पर अधिकारियों निर्माण और वेतन के भुगतान नहीं करने की जिम्मेदारियों को डालना। इसके अतिरिक्त एन.जी.ओ. के अधिकारियों को संबंध मंत्रालयों की कई यात्राएं करती पड़ती थी और नौकरशाह जो राज्य की फंडिंग के कार्यों को देखते थे उन्हें संतुष्ट करना होता था यहां तक कि चूंकि भी देना पड़ती थी। सरकारी निधि
के हुस्तप्रम के मुद्दे आरोप और अगली जांचों, प्रश्नों और केंद्र सरकार के अन्वेषण अधिकारियों की यात्राएं होना सामान्य रूप से बढ़ चुका था।

अंततः राज्य की परियोजना आधारित फंडिंग स्टॉफ का ख्वाब, रबरखाब, इमारत, स्टाफ विकास प्रशिक्षण, एडिटिंग और पुस्तकों को खरीदने की कीमत आदि कबर नहीं होती थी।

एक अन्य दृष्टांत प्रस्ताव जो इतिहास के सभी जानों में प्रामाणिक हैं वह है कि एन.जी.ओ. कार्यक्रमों की प्रकृति राज्य एन.जी.ओ. संबंधों को विधानित करती है। राज्य हमेशा ही एन.जी.ओ. की उन गतिविधियों का स्वागत करता है जो कल्याणकारी और आधुनिकीकरण की ओर प्रवृत्त करने वाली है विशेषकर यदि वह राज्य के स्वर्ण के प्रथमों की जगह लेती हो या उसकी पूरक हो। दूसरी तरफ राज्य ने कभी भी सशक्तीकरण की दिशा में प्रवृत्त एन.जी.ओ. को नहीं सहा। अन्य प्रस्ताव विभिन्न ऐतिहासिक मोडों पर लागू होते हैं।

कि सरकार एन.जी.ओ. पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उनके राजनैतिक संचार, स्थिति और उनके भय कि वह राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए बढ़ता है ऐसी व्याख्या कर 1980 में उसने नॉन प्राइफेट क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को बढ़ाया।

1960 और 1970 में यही प्रस्ताव FCRA की भूमिका की भी व्याख्या करता है और ऐश्या पाउंडेज जो विविध भिन्नताएं हैं उसके और उसके अधिकारियों को बहिष्कृत करता है।

एन.जी.ओ. समुदाय एक जैसा नहीं है जैसा कि विचार विवर्त बनाता है। वहां स्थानीयताओं के बीच कई प्रश्नीय अंतर है। विश्वास के बावजूद स्थानीय रूप पर राज्य- एन.जी.ओ. संबंधों को सामान्य तौर पर राजनीतिज्ञों, पार्टी कार्यकर्ताओं, स्थानीय अभिजात्यों, निचले स्तर के नौकरों और एन.जी.ओ. गतिविधि की ओर कार्य करने वाले राज्य के निचले स्तर के कर्मचारियों में शब्दुता में विशेष दृष्टि किया जा सकता है।

प्रस्ताव कि बामपंथी सरकार, एन.जी.ओ. का स्वागत नहीं करती यह स्थानीय स्तर पर अधिक स्पष्ट है।

सारांश में, हम साफ तौर पर देखते हैं कि यह समझने के क्रम में कि राज्य-एनजीओ संबंध ‘वास्तविक विच’ में कैसे परिवर्तित होते हैं, हमें सामूहिक जनताओं और विशेषताओं, राजनैतिक, सामाजिक और आधिकारिक वास्तविकताओं, वैकल्पिक देशों की सामग्रिक संस्कृतियों और मानव एजेंसी को विश्लेषित करने की जरूरत है।
जैसा कि वॉक बताते हैं कि हमें स्थैर्यक क्षेत्र को रूपांतरित करने में और इसके स्थानीय राज्य के माध्यम संबंधों के लिए स्थानीय राजनीति की भूमिका स्थानीय एजेंट के कार्यों स्थानीय सांस्कृतिक व्यवहारों को भी समझना चाहिए। ये स्थानीय परिस्थितियां संकल्पनाओं के विभिन्न रूपों और विभिन्न स्थानीयताओं के आगे राज्य-एन.जी.ओ. संबंधों को बनाती है।
AVARD (Association of Voluntary Agencies For Rural Development) 1991 *Role Of NGOs in Development: A Study of the Situation in India* (final country report), New Delhi: AVARD.


Kothari, Rajni (1986) ‘NGOs the State and World Capitalism’, *Economic and Political Weekly* 21(50): 2177-82


